न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मोटाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति जाट निवासी–मानसागर, तहसील बावड़ी जिला–जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला–जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2017 जो तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 119/2017 अनवान सरकार बनाम मोटाराम में पारित किया गया।

उपस्थिति:– 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 11.03.2019

अपीलान्ट मोटाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति जाट निवासी मानसागर तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, बावड़ी द्वारा दिनांक 14.11.2017 को प्रकरण संख्या 119/2017 बअनवान सरकार बनाम मोटाराम में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी डांवरा ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार बावड़ी को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम मानसागर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 561/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर कृषि वर्ष 2073 में अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बावड़ी ने प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलार्थी को तलब किया। अपीलार्थी ने दिनांक 14.11.2017 को उपस्थित होकर उक्त भूमि पर अपना पुराना कब्जा होने के प्रमाण प्रस्तुत किये एवं भूमि नियमन योग्य होने एवं अपीलार्थी नियमन का अधिकारी होने से भूमि

को नियमन किये जाने का निवेदन किया एवं अपने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करना चाहा। दिनांक 14.11.2017 को पत्रावली की आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवा कर मौखिक रूप से कहा कि आप एक माह तक अन्य गवाह व सबूत प्रस्तुत कर दे। अपीलार्थी द्वारा माह दिसम्बर के प्रथम हफते में तहसील कार्यालय में रीडर से सम्पर्क करने पर बताया कि तहसीलदार बावड़ी आज अन्य कार्य में व्यस्त है इसलिए आप अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नियमन हेतु कार्यवाही करवावे। अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उन्होने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद कार्यवाही कर देगे किन्तु शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से अधिवक्ता के मार्फत रीडर से सम्पर्क करने पर तहसीलदार बावड़ी के पास पत्रावली होने से उनसे सम्पर्क करने को कहां गया। अपीलार्थी दिनांक 30.01.2018 को फिर से तहसील कार्यालय गया तब तहसीलदार बावड़ी ने कहा कि मैंने आदेश कर दिया है आप आगे कार्यवाही करो, तब पुन: अधिवक्ता से सम्पर्क कर उनके मार्फत वास्तविक जानकारी की तो बताया कि पत्रावली में दिनांक 14.11. 2017 तारीख अंकित कर बेदखली का आदेश कर दिया है जिस पर नकल के लिए आवेदन किया जो दिनांक 06.02.2018 को प्राप्त होने पर अधिवक्ता से सलाह मशवरा कर अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार बावड़ी द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये व प्रस्तुत दस्तावेज का बिना अवलोकन किये आलौच्य आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित होने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील को नजर अंदाज कर तथा विवादग्रस्त भूमि पर लम्बे अर्से से काबिज काश्त होने पर भी आलौच्य आदेश करने, लिपिकीय त्रुटि से खातेदारी अंकित नहीं होने, विवादित भूमि काबिल काश्त तथा बारानी तृतीय श्रेणी की होने से उसका नियमन किये जाने में कोई बाधा नहीं होने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर एवं धोखे से आगे की तारीख बताकर आदेश पारित करने, प्रकरण में न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना आदेश पारित करने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2017 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, बावड़ी से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार बावड़ी द्वारा दिनांक 14.11.2017 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 561/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का डांवरा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बावड़ी द्वारा राजस्व ग्राम मानसागर के खसरा नम्बर 561/1 रकबा 4.15 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय पर अपीलान्ट का अनाधिकृत अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अतिक्रमण हटाने व बेदखली का जो आदेश पारित किया गया है उसमें विचार करने हेतु उचित आधार व तथ्य नहीं होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अत: अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार बावड़ी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर